झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

परिशिष्ट –I

संख्या–2/PMC/जलापूर्त्ति–175/2007 दिनांक–...........................

विषयः– झारखण्ड उदवह् सिंचाई अधिनियम 1956 की धारा–4, 23, 24, 28 एवं 29 तथा बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा– 62, 63 तथा 116(2) के अधीन झारखण्ड राज्यान्तर्गत म्युनिसिपल एवं औद्योगिक जलापूर्त्ति का जलदर को पुनरीक्षित करने के संबंध में।

जल संसाधन विभाग गैर–कृषिकारी उपयोग हेतु विभिन्न उपभोक्ताओं को जल उपलब्ध कराता रहा है। म्यूनिसिपल व्यावसायिक एवं औद्योगिक जलापूर्त्ति हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा समय–समय पर विभागीय आदेश द्वारा जलदर (Water Tariff) निर्धारित की जाती रही है। म्यूनिसिपल एवं औद्योगिक जलदर (Water Tariff) 01 अप्रैल 2011 से प्रति हजार गैलेन के आधार पर निर्धारित किया गया था।

2. 01 अप्रैल 2011 से जलदर लागू होने के पश्चात् दस वर्ष व्यतीत हाने के उपरान्त इसमें कतिपय संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई है।

3. देश के अन्य राज्यों (यथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, प० बंगाल, बिहार) में लागू जलदरों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात विभिन्न जलस्त्रोतों (यथा प्राकृतिक नदी/नाला आदि, जलाशय तथा नहर) से झारखण्ड राज्य में औद्योगिक इकाईयों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा औद्योगिक/व्यापारिक उपयोग एवं औद्योगिक ईकाईयों/निजी संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग हेतु 01 अप्रैल 2021 से प्रति हजार लीटर की इकाई के आधार पर जलदर निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है :–

(Amount in Rs/1000 L)

क्र०सं०	जल उपयोग का प्रयोजन	जल स्त्रोत का प्रकार			
		प्राकृतिक जलस्त्रोत (नदी, नाला, जलधारा)	जलाशय एवं जलाशय का **Fringe Area**	जलाशय का **Down Stream (D/S)**	निर्मित नहर
1	2	3	4	5	6
i	औद्योगिक ईकाईयों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिये औद्योगिक/व्यापारिक उपयोग हेतु	4.13	11.97	13.00	29.70
ii	औद्योगिक ईकाईयों/निजी संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग हेतु	3.75	6.00	7.00	15.00
iii	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, माडा– धनबाद, माडा– हजारीबाग,एवं अन्य सरकारी संस्थान द्वारा म्यूनिसिपल क्षेत्रों में पेयजलापूर्त्ति हेतु	3.58	3.58	3.58	15.00

4. उपरोक्त कंडिका–3 में निर्धारित की गई जलदरें अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

5. मुद्रास्फीति की दरों में औसत वृद्धि के आलोक में उपरोक्त कंडिका–3 में अंकित जलदरों में प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 से अर्थात 01 अप्रैल 2022 से 7.5% वृद्धि (वार्षिक चक्रवृद्धि दर से) कर पुनरीक्षित जलदर लागू होगी। इसके बाद के आगामी वर्षों में भी जलदरों में प्रतिवर्ष 7.5% की वृद्धि (वार्षिक चक्रवृद्धि दर से) लागू होगी।

6. एकरारनामा आधारित जलावंटन की मात्रा के अनुरूप विभाग द्वारा निर्गत विपत्र के आधार पर प्रत्येक माह निर्धारित तिथि के अन्तर्गत विपत्र का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में विलम्बित भुगतान अधिभार अर्थात् DPS (Delayed Payment Surcharge) 2% (दो प्रतिशत) प्रतिमाह (मासिक चक्रवृद्धि दर से) की दर से राशि वसूली जाएगी।

7. इस आदेश मे निहित तकनीकी शब्दों की परिभाषा निम्नवत है–:

जलदर (Water Tariff) –विभिन्न औद्योगिक इकाईयों/व्यापारिक संस्थानों/निजी या सरकारी संस्थानो/या अन्य किसी एजेन्सी द्वारा लिये जा रहे जलापूर्ति के एवज मे सरकार को प्रति हजार लीटर जलापूर्ति के लिए भुगतेय राशि (रूपया में)।

औद्योगिक इकाई–झारखंड राज्य में स्थापित किसी भी श्रेणी/प्रकार (Small/ Medium/ Large/ Private/ Public Sector/ Joint Sector या अन्य सभी इकाई जो Industry के रूप में परिभाषित है) की औद्योगिक इकाई।

व्यापारिक इकाई/प्रतिष्ठान––झारखंड राज्य में स्थापित किसी भी प्रकार की व्यापारिक इकाई/प्रतिष्ठान जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के माध्यम से लाभ अर्जित करना है एवं जो व्यापार के रूप में परिभाषित है ।

Fringe Area-"Fringe Area" of Dam is the area between FRL (Full Reservoir Level) and MWL (Maximum Water Level) of reservoir.

D/S of reservoir- Where assured water is supplied through a dam in down stream (D/S) of river .

8- अन्य सभी तकनीकी शब्दावलियाँ मानक पुस्तकों से refer किया जायेगा।

9- इस आदेश पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2/**PMC**/जलापूर्त्ति–175/2007 दिनांक–............................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हक) बिहार एवं झारखण्ड, वीर चंद पटेल पथ, पटना/हिनू राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2/**PMC**/जलापूर्त्ति–175/2007 दिनांक–............................

प्रतिलिपिः– मुख्य (जल संसाधन), मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/ सचिव, जल संसाधन विभाग, नेपाल हाउस, राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II, नेपाल हाउस, राँची, सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग,

नेपाल हाउस, राँची / मुख्य अभियंता, राँची / चाण्डिल कॉम्पलेक्स, जमशेदपुर / ईचा–गालूडीह कम्प्लेक्स, जमशेदपुर / देवघर / मेदिनीनगर / रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जलभवन डोरण्डा, राँची / अग्रिम योजना जल भवन, डोरण्डा राँची / मुख्य अभियंता (मो०), नेपाल हाउस, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 नेपाल हाउस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2 / PMC / जलापूर्त्ति–175 / 2007 दिनांक–............................

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के सचिव / सभी विभागों के प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2 / PMC / जलापूर्त्ति–175 / 2007 दिनांक–............................

प्रतिलिपिः– ई–गजट नोडल पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे इस अधिसूचना का प्रकाशन झारखण्ड राज्य के असाधारण गजट में करें और गजट की प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायें।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–2 / PMC / जलापूर्त्ति–175 / 2007 दिनांक–............................

प्रतिलिपिः– वेव सूचना प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)